



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16092026-276260
CG-DL-E-16092026-276260

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4891]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 16, 2026/भाद्र 25, 1948

No. 4891]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 16, 2026/BHADRA 25, 1948

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 2026

का.आ. 5082(अ).— केंद्रीय सरकार, धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) की धारा 43 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श से भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक का.आ. 372 (अ), तारीख 5 फरवरी, 2016 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना में, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, हिमाचल प्रदेश राज्य से संबंधित क्रम संख्यांक 9 के सामने, स्तंभ (3) और (4) में पहली प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां क्रमशः रखी जाएंगी, अर्थात् :-

(3)	(4)
“अपर सत्र न्यायाधीश (सीबीआई) शिमला।	जिला शिमला, किन्नौर, सोलन और सिरमौर स्थित नाहन हिमाचल प्रदेश।”

[फा. सं. सी-18015/2/2026-एडी.ईडी]

राजीव लोचन, अवर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक का.आ. 372 (अ) तारीख 5 फरवरी, 2016 द्वारा प्रकाशित हुई थी।

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 16th September, 2026

S.O. 5082(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 43 of the Prevention of Money-laundering Act, 2002 (15 of 2003) and in consultation with the Chief Justice of High Court of Himachal Pradesh, the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue) published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii) vide number S.O 372(E), dated the 5th February, 2016 namely:-

In the said notification, in the TABLE, against serial number 9 relating to the State of Himachal Pradesh, for the first entries in columns (3) and (4), the following entries shall respectively be substituted, namely: —

(3)	(4)
“Additional Sessions Judge (CBI) Shimla.	Districts Shimla, Kinnaur, Solan and Sirmaur at Nahan of Himachal Pradesh.”

[F. No. C-18015/2/2026-Ad.ED]

RAJEEV LOCHAN, Under Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 372(E), dated the 5th February, 2016.